न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

जिला-रीवा (म0प्र0)

R-990-I/12

(1) लखमोहरी पुत्री जमुना हरिजन पत्नी अर्जुन साकेत,

(2) जयमोहरी पुत्री जमुना हरिजन,

दोनों निवासी- ग्राम पुरवा, तह0 देवसर, जिला- सिंगरौली, (म0प्र0) ----निगराकारगण /आवेदकगण

बनाम

(1) वंशपती प्रसाद पिता सुन्दर चमार,

(2) सरदार पिता सुन्दर चमार,

(3) लखपती प्रसाद पिता सुन्दर चमार,

सभी नि0 ग्राम पुरवा, तह0 देवसर, जिला- सिंगरौली (म0प्र0)

(4) म0प्र0 शासन ------------ गैर निगराकारगण/अना0गण

अधिवक्ता श्री एन.के. मिश्रा द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20/3/2012

20/3/12

निगरानी विरूद्ध आदेश न्याया0 कलेक्टर जि0 सिंगरौली (म0प्र0) द्वारा प्रक0 क्र0- 633/ निग0/ 2000-2001, पारित आदेश दि0 24-11-10

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

2-4-12

महोदय,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :-

(1) यह कि विद्वान मातहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

(2) यह कि निगराकारगण के पिता जमुना तनय द्वारिका प्र0 चमार ने विचारण न्यायालय तहसीलदार देवसर की अदालत में म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमियों पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधि0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 990 – I/12 जिला– सिंगरौली

लखमोहरी साकेत विरूद्ध बेशपती प्रसाद चमार व अन्य

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री एन. के. मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ ~~अपर कलेक्टर,~~ जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 633/निग./2000-01 में पारित आदेश दिनांक 24-11-10 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	